अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

ईशरराम बनाम श्रवण कुमार आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 174/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
13.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 76/60 की कुल 16 किता 2.5300 है0 वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 23/08/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
23/8/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब [illegible] पत्रावली दि0 10/10/23 को पेश हो।	
18/9/23	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें। हमने पत्रावली [illegible] तलबी में विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी [illegible] है। न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] है। अतः प्रार्थी का पत्र ईशरराम बनाम श्रवण कुमार आदि [illegible] 174/2023 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	21/2 प्र. खाती Adl. उप खण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner